"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 140] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 6 जून 2002—ज्येष्ठ 16, शक 1924

पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जून 2002

अधिसूचना

क्रमांक 1098/917/आ. पर्या/2002.—चूंकि, राज्य सरकार की यह राय है, कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण लोकहित में यह आवश्यक हो गया है, कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में, छत्तीसगढ़ आवास एवं नगरीय विकास प्राधिकरण का गठन किया जावे.

2. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 38-क (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ आवास एवं नगरीय विकास प्राधिकरण का गठन इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से किया जाता है.

3. इस अधिसूचना के प्रकाशन पर उन समस्त शक्तियों, कृत्यों तथा कर्त्तव्यों, जिनका इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त है का प्रयोग, पालन या निर्वहन उक्त प्राधिकारण द्वारा किया जावेगा.

4. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 40-क (1) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आवास एवं नगरीय विकास प्राधिकरण में निम्नानुसार नियुक्ति की जाती है :—

1. अध्यक्ष — नगरीय विकास विभाग के माननीय मंत्री जी.
2. उपाध्यक्ष — नगरीय विकास विभाग के माननीय राज्यमंत्री जी.
3. उपाध्यक्ष — नगरीय विकास विभाग के सचिव.

Raipur, the 6th June 2002

NOTIFICATION

No 1098/917/H & E/2002.—Whereas, the State Government is of the opinion, that the circumstances exist, which render it necessary, in the public interest, to create Housing & Urban Development Authority in the Chhattisgarh State.

2. Now, Therefore, in exercise of the power conferred by Section 38-A (1) Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973, the State Government hereby constitutes, Housing & Urban Development Authority of Chhattisgarh from the date of publication of this notification in Chhattisgarh State Gazette.

3. Upon the publication of this notification all the powers, functions and duties which may, by or under this Act, be exercised, performed or discharged by the said Authority.

4. Following are nominated in the Chhattisgarh Housing & Urban Development Authority under Chhattisgah Nagar Tatha Gran Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) Section 40-A (1) :—

1. Chairman — Hon'ble Minister of Urban Development Department.
2. Vice Chairman — Hon'ble State Minister of Urban Development Department.
3. Vice Chairman — Secretary Urban Development Department.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढॉड, सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.